दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062
CIN : U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक :   /पविविनिलि/मेरठ/एसओ/स्था0/सहा0अभि0/2015–16   दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1137–अ0प्र0–07 / पाकालि/15–16–अ0प्र0–07/14 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा 8.33% कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर प्रोन्नत एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को आवंटित अधोलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्य हित में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक अभियन्ता के पद पर स्तम्भ सं0–05 में उल्लिखित स्थान पर तैनात/आवंटित किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि/ट्रेड /गृह जनपद/श्रेणी/वरिष्ठता क्रमांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती स्थान	अभि0 संख्या	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती स्थान/आवंटित क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	सुनील कुमार श्रीवास्तव/राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव/22.07.1968/इलेक्ट्रिकल /बलिया/सामान्य/9554	वि0वि0मं0, मऊ	2015152	सहायक अभियन्ता (भण्डार), रामपुर अन्तर्गत विद्युत भण्डार खण्ड, मु0बाद। (रिक्त पद पर)
2	मोहित शर्मा/केशव दत्त शर्मा/31.01.1986/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन/गाजियाबाद/सामान्य /9557	सहायक अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ	2015153	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल को आवंटित

2– उपरोक्त सहायक अभियन्ता पूर्व परिषदादेश संख्या 485–ए–आर/राविप–01–28– एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संशाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।

3. **"यह प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय/इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 60876/2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।"**

4. सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियन्त्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :–
   (क) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
   (ख) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
   (ग) उपर्युक्त सूची मे नामित अवर अभियन्ता के विरूद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उनके नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
   (घ) समस्त चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 30.06.2015 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नही हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।

5. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0पाकालि में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगे तत्पश्चात एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेगें।
6. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं0–79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 31.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
7. प्रोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।
8. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वें सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर करपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि (06)/2001 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमश :–2/

28/5/2015